2019/00144

5/11/19

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
धारा RTA प्रा० पत्र	59/19	31/7/19	5/11/19 खारिज	

अनवान

श्री लाडदेवी कुम्हार .... श्री लादू कुम्हार ....

निवासी सरथला .... निवासी सरथला वगैरा (1) ....

श्री नरेन्द्र पारवाल

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट   अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार   रेस्पाडेन्ट / मदयूनान

श्री......................................श्री......................................

Scanned by CamScanner

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **माण्डलगढ**

श्रीमती लाड़ पुत्री बालू पत्नी गोपाल कुम्हार नि0 सरथला तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थी

बनाम

. लादू पिता बालू कुम्हार निवासी सरथला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

2. भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अप्रार्थीगण

मु. नं. 59/2019

स्म मुकदमा :- 212 प्रार्थना पत्र RTA

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/07/2019	प्रार्थना पत्र बाद जांच सीगे से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई वकील प्रार्थीगण ने बहस में बताया कि ग्राम सरथला पटवार हल्का सरथला के आराजी नम्बर 128, 129/2, 135/2, 482/2, 139/2 कुल किता 5 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश फरमावे । वकील प्राथी की एकपक्षीय बहस सुनी एंव पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि मामला प्रथम दृष्ट्यां प्रार्थी के पक्ष का बनता है। एवं अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के जवाब पेश होने तक जारी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः ग्राम सरथला पटवार हल्का सरथला के आराजी नम्बर 128, 129/2, 135/2, 482/2, 139/2 कुल किता 5 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा भूमि से अप्रार्थीगण प्रार्थिया को बेदखल नही करे, रहन विक्रय व फसल काश्त में दखलंदाजी नही करे एवं मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश अप्रार्थीगण के विरूद्ध उनके जवाब प्रस्तुत होने तक जारी किया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब हेतु नियत दिनांक 05/11/2019 को पेश हो। (त्रिलोक चन्द मीना) उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ	
5/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उप०। पत्रावली वास्ते तलबी ~~दिनांक~~ इतना लिखने पर प्रार्थिया लाड देवी ने वाद वि० पत्र में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में पक्षकारान के बीच आपसी राजीनामा हो चुका है	LTI लादूलाल

P.T.O.

Scanned by CamScanner

अत: अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है।
चूंकि मूल वाद खारिज हो चुका है इसलिए
प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही रहता है
अत: प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 सी.पी.
इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली कौंसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner